प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झाँसी

दिनांक – 06.06.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी सफलता।**
- **बैंक में RTGS/NEFT एवं PPS फार्म बदलकर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाला अंतर्राज्यीय शातिर जालसाज गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से नगदी, सोने के आभूषण, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, चेक एवं अन्य सामग्री बरामद।**
- **धोखाधड़ी से प्राप्त लगभग 37 लाख रुपये की शेष धनराशि बैंक खातों में फ्रीज कराई गई।**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.06.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 283/26 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त समीर सामन्थ पुत्र स्व0 बाटाकृष्णा सामन्थ, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी कुमरूल, थाना धोनियाखाली, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 04.06.2026 को आवेदक श्री अजय कुमार सिंह पुत्र स्व0 श्री बृजमोहन सिंह निवासी 875, ध्यानचन्द हाउस, जैन डेयरी के पास, प्रेमगंज, थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी द्वारा थाना नवाबाद पर दी गई तहरीर के आधार पर वादी द्वारा अपने गार्ड के माध्यम से बैंक में प्रेषित किये गये 40,00,000/- रुपये के चेक, **RTGS/NEFT** फार्म एवं **PPS** फार्म को अज्ञात अभियुक्त द्वारा बदलकर दूसरे खाताधारक के नाम से तैयार कर, फार्म में वादी के फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक

कर्मियों के माध्यम से सम्पूर्ण धनराशि को दूसरे खाते में ट्रांसफर करा लेने के संबंध में अभियुक्तगण 1. सम्बन्धित बैंक कर्मी नाम-पता अज्ञात एवं 2. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा न्यू पुलिस बाजार, वर्धमान (पश्चिम बंगाल) के खाता संख्या **10411000006003** के खाताधारक सुकुमण्डी नामक व्यक्ति के विरुद्ध थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0-283/26 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्त की तलाश एवं पतारसी हेतु किये गये प्रयासों के क्रम में दिनांक 06.06.2026 को मुकदमा उपरोक्त के विवेचक उ0नि0 नवीन सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त समीर सामन्थ पुत्र स्व0 बाटाकृष्णा सामन्थ उपरोक्त को इलाइट चौराहे से रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त समीर सामन्थ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह विभिन्न शहरों के बैंकों में जाकर बैंक कर्मियों की डेस्क पर रखे ग्राहकों के चेक एवं उनके साथ संलग्न **RTGS/NEFT** फार्मों को चुपके से बदल देता था तथा अपने द्वारा संचालित सुकुमण्डी नामक खातों के फार्म लगाकर ग्राहकों के फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि अपने खातों में ट्रांसफर करा लेता था। अभियुक्त ने बताया कि उसके पास सुकु मण्डी नाम से विभिन्न बैंकों में लगभग **08** बैंक खाते हैं, जिन्हें उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुलवाया है तथा उन्हीं खातों से **UPI** एवं बैंकिंग लेनदेन संचालित करता है।

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि दिनांक 02.06.2026 को उसने झाँसी स्थित बैंक शाखा से अजय कुमार सिंह के **RTGS** एवं **PPS** फार्म को बदलकर 40 लाख रुपये पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक में संचालित अपने खाते संख्या 10411000006003 में ट्रांसफर करा लिये थे। इसके बाद उसने उक्त धनराशि को फोन बैंकिंग एवं **UPI** के माध्यम से अपने अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिया। इसी धनराशि से उसने दिनांक 02.06.2026 को मालाबार ज्वैलर्स, झाँसी तथा दिनांक 03.06.2026 को कल्याण ज्वैलर्स, झाँसी से आभूषण खरीदे थे, जो पुलिस द्वारा बरामद कर लिये गये हैं। बरामद नगदी भी उक्त खाते से एटीएम के माध्यम से निकाली गई थी, जिसमें से कुछ धनराशि उसने अपने व्यक्तिगत खर्चों, आवास, भोजन एवं अन्य कार्यों में व्यय कर दी थी।

गहन पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी बताया कि वह विभिन्न शहरों में जाकर बैंकों से ग्राहकों द्वारा भरे गये चेक एवं **RTGS** फार्मों को बैंक कर्मियों की नजर बचाकर उठा लेता था तथा अपने द्वारा संचालित खातों के नाम से फर्जी **RTGS** फार्म भरकर ग्राहकों के हस्ताक्षर की नकल करते

हुए बैंक में जमा कर देता था। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि से ही वह अपना एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

अभियुक्त द्वारा बताया कि वह दिनांक 31.05.2026 को झाँसी आया था तथा कई बैंकों की रेकी करने के बाद अवसर मिलने पर ग्वालियर रोड स्थित बैंक शाखा से ग्राहकों के भरे हुए चेक एवं **RTGS** फार्म उठा लिये थे। इनमें अजय कुमार सिंह एवं महेन्द्र कुमार गुप्ता के दस्तावेज भी शामिल थे। इनके आधार पर उसने फर्जी हस्ताक्षर कर अपने खातों में धनराशि स्थानांतरित कराने का प्रयास किया। झाँसी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में नए लक्ष्य की तलाश के बाद वह वापस अपने घर जाने हेतु रेलवे स्टेशन जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त का विवरण– समीर सामन्थ पुत्र स्व0 बाटाकृष्णा सामन्थ, उम्र करीब 49 वर्ष, निवासी कुमरूल, थाना धोनियाखाली, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल।

अभियुक्त से बरामदगी –

- मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित - 94,100 रुपये नगद,
- 03 अंगूठी पीली धातु व 01 अदद लाकेट पीली धातु (कीमत 1,68,400/- रूपये)
- 12 भरे चेक (कुल रूपये 4,47,500/- रूपये अदा करने हेतु)
- 05 डेबिट कार्ड (अलग-अलग बैंको के)
- 01 पैन कार्ड (सुकु मण्डी के नाम)
- 02 एन्ड्राइड फोन
- 01 की-पैड फोन
- 03 सिम कार्ड (02 एयरटेल कम्पनी की व 01 जिओ कम्पनी की)

(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 के बैंक खाते में जमा शेष धनराशि लगभग 37,00,000/- रूपये को फ्रीज करा दिया गया है)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री रवि श्रीवास्तव थाना नवाबाद जिला झांसी
2. निरीक्षक श्री अतुल कुमार थाना नवाबाद जिला झांसी
3. उ0नि0 श्री नवीन सिंह थाना नवाबाद जिला झांसी
4. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना नवाबाद जिला झांसी
5. उ0नि0 श्री मोहित यादव थाना नवाबाद जिला झांसी
6. उ0नि0 श्री अनुज यादव थाना नवाबाद जिला झांसी
7. का0 20 रामू थाना नवाबाद जिला झांसी
8. का0 600 भूपेन्द्र सिंह थाना नवाबाद जिला झांसी